सिर कुचला, खून पीकर खाया भेजा

- कटनी मार्ग स्थित ग्राम समन्ना क्षेत्र का मामला
- मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी

16 वर्षीय किशोर की बेरहमी से हत्या

नवभारत, न्यूज

दमोह. जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत जबलपुर नाका चौकी के समीप कटनी मार्ग स्थित ग्राम समन्ना में गुरुवार 5 मार्च की दोपहर एक ऐसी भयावह घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया.

भाईदूज का टीका लगवाने अपनी बहन के घर जा रहे 16 वर्षीय की गांव के ही एक व्यक्ति ने बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की क्रूरता और आरोपी की वीभत्स हरकतों ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार भरत विश्वकर्मा 16 वर्ष इमलिया चौकी क्षेत्र के अर्थखेड़ा गांव का निवासी था. वह भाईदूज पर अपनी बहन के घर टीका लगवाने जा रहा था.

इसी दौरान समन्ना गांव के पास गांव के ही रहने वाले गुड्डा पटेल ने उस पर अचानक हमला कर दिया. बताया जाता है कि आरोपी ने हथोड़े से ताबड़तोड़ वार कर भरत की मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद जो दृश्य सामने आया, उसने वहां मौजूद लोगों को सिहरने पर मजबूर कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हत्या करने के बाद आरोपी शव के पास बैठ गया और बेहद वीभत्स हरकतें करने लगा. बताया जा रहा है कि वह मृतक की खोपड़ी से बह रहे खून को पीने लगा और शव के टुकड़े कर मांस खाकर जेब में भी रख लिया. यह भयावह नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाते हुए आरोपी को रोकने की कोशिश की और उस पर पत्थर फेंके. इसके बाद आरोपी हाथ में हथौड़ा लेकर पास के खेतों की ओर भाग निकला. घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई और सरपंच प्रतिनिधि निखिल सोनू ठाकुर और ग्रामीणों ने भी आरोपी की घेराबंदी शुरू कर दी.

ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह कई बार अजीब व्यवहार करता रहा है .पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मृतक के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस हृदयविदारक और सनसनीखेज घटना ने न केवल समन्ना गांव बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है.

छग पुलिस ने दर्ज किया एक्सटॉर्शन का मामला

02 आरक्षक सस्पेंड

शहडोल, 05 मार्च. रेत के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश की शहडोल पुलिस एक बार फिर विवादों में है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की सरहद पर बरना नदी में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त खूनी मोड़ ले गई, जब रेत से भरा ट्रैक्टर पलटने से 25 वर्षीय चालक सोनू चक्रवाह की मौत हो गई.

घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने एमपी पुलिस को मौके से खदेड़ दिया और पुलिस वाहन वहीं छूट गया. छत्तीसगढ़ पुलिस ने रेत कार्रवाई के लिए बॉर्डर पार पहुंचे एमपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कर लिया है. वहीं शहडोल पुलिस अधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए दर्शिला चौकी प्रभारी समेत दोनों पुलिसकर्मियों को पहले लाइन अटैच किया और फिर सस्पेंड कर दिया है. शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र की चौकी दर्शिला में पदस्थ प्रधान आरक्षक नितिन शुक्ला, राजीव प्रजापति और ग्राम रक्षा समिति के सदस्य मधुर जैसवाल बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिए छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बरना नदी पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सीमा में खड़े रेत से भरे ट्रैक्टर को एमपी पुलिस अपने क्षेत्र में ले जाने लगी.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने की ये मांग

गौरतलब है कि पूर्व में भी रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जिले में एक पटवारी और एएसआई की कुचलकर हत्या हो चुकी है. ऐसे में सीमा पार की इस कार्रवाई ने प्रशासनिक सतर्कता और समन्वय पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस पूरे मामले में पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन एन चैत्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरक्षक नितिन शुक्ला व राजीव प्रजापति के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कर लिया है. दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर चौकी प्रभारी को भी लाइन अटैच किया गया है. मधुर जायसवाल नामक व्यक्ति से छत्तीसगढ़ पुलिस पूछताछ कर रही है.

एक नजर में

हत्या के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार

सिंगरौली. जिले के खुटार चौकी क्षेत्र में मोटरसाइकिल टकराने की बात को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार 4 मार्च 2026 को फरियादी धर्मेंद्र कुमार शाह (24) निवासी खुटार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर करीब 3 बजे मोटरसाइकिल टकराने की बात को लेकर रुद्र सिंह गहरवार (22) पिता राजपति सिंह गहरवार एवं अखिलेश शाह (31) पिता रामराजी शाह, दोनों निवासी खुटार के साथ विवाद हो गया. विवाद के दौरान दोनों आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे धर्मेंद्र कुमार शाह, विकेश कुमार शाह और रविंद्र कुमार शाह घायल हो गए. घटना की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

प्रशांत दुबे बने सेक्रेटरी

जबलपुर. मप्र स्टेट बार कॉउंसिल चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की हाई पावर स्पेशल कमेटी के सुपरविज़न में नए चुनाव की तैयारियां चल रहीं हैं. इस स्पेशल कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस केके त्रिवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ भी शामिल हैं. नए चुनाव को संपन्न कराने कमेटी ने फिलहाल प्रशांत दुबे को सेक्रेटरी नियुक्त किया है. इसके साथ ही उप चुनाव अधिकारी के रूप में अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह बघेल और दीपक अवस्थी को चुनाव के लिए उप चुनाव अधिकारी बनाया गया है.

उप मुख्यमंत्री ने भगवान भैरवनाथ के किए दर्शन

भोपाल, 05 मार्च. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने होली महापर्व पर गुढ़ स्थित भैरवनाथ लोक पहुंचकर भगवान भैरवनाथ के दर्शन किए तथा लोक कल्याण की कामना की.

धर्मेंद्र ने 49 बड़े दीपक किए प्रज्ज्वलित

नोहटा, 05 मार्च. नोहटा में अपने निवास पर परिवार सहित प्रबुद्ध जनों के बीच संस्कृति राज्यमंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी द्वारा अपने 48 वां जन्मदिन पर 49 बड़े दीपक प्रज्ज्वलित कर गायत्री मंत्र की आहुतियों समर्पित करते हुए मनाया गया.

इस अवसर पर दीपयज्ञ का संचालन करते हुए जिला समन्वयक बी पो गर्ग द्वारा बतलाया गया कि हमारी संस्कृति दीपक की लौ की तरह ऊंचा उठना और अंधकार दूर करना सिखाती है. दीपक का बुझाना अशुभ माना जाता है. एडवोकेट पंकज हर्ष श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक प्रगति जानने के लिए उसका जन्मदिन एक सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, जिस प्रकार सरकारी साल वित्तवर्ष पर सरकारी विभाग अपनी आय व्यय का लेखा 31 मार्च को देखते है. व्यापारी पहले दीपावली पर अपने बहीखातो से अपनी प्रगति का अवलोकन करते है, उसी प्रकार हमें भी अपने जन्मदिन पर यह आकलन करना चाहिए कि पिछले एक वर्ष में हमसे क्या बुरा हुआ और क्या अच्छा हुआ और आने वाले वर्ष में अच्छे कार्यों की मात्रा बढ़ाने का संकल्प लेना ही जन्मदिन मनाने का वास्तविक अर्थ है.

बाल-बाल बची बस

सतना, 05 मार्च. बिरसिंहपुर के पास गैवीनाथ ट्रैवल्स की बस हादसे का शिकार होते बाल-बाल बची.नहर निर्माण के कारण हुआ हादसा.

ऐझी गांव से बिरसिंहपुर आ रही निजी ट्रेवल्स की बस पलटने से बची बताया गया है कि नहर के लिए बनाई गई पुलिया में यूं टर्न बन जाने के चलते आये दिन वाहन हादसे का शिकार हो रहे हैं गनीमत रही कि बस में कोई सवार नही था नहीं तो किसी बड़ी घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था.

34 पुलिसकर्मियों को 15 लाख का पुरस्कार

चितरंगी एसडीओपी राहुल को मिला 1 लाख का पुरस्कार

सिंगरौली, 05 मार्च. सिंगरौली प्रतिबंधित नक्सली संगठन के इनामी सदस्यों की गिरफ्तारी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्यप्रदेश पुलिस के 34 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश द्वारा कुल 15 लाख रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

इस सूची में चितरंगी के एसडीओपी राहुल कुमार सैयाम को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार स्वीकृत किया गया है. इस अभियान में उल्लेखनीय भूमिका

निभाने वाले कुल 34 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा नगद पुरस्कार स्वीकृत किया गया है. यह पुरस्कार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्कृष्ट कार्यकुशलता, साहस, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर दक्षता को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया गया है.

मप्र पुलिस ने हासिल की थी महत्वपूर्ण सफलता

जानकारी के अनुसार 21 अगस्त 2023 को जबलपुर शहर से प्रतिबंधित नक्सली संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के नॉर्थ बस्तर और आरकेबी डिवीजन के मास ऑर्गनाइजेशन प्रभारी तथा डीके स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य अशोक रेड्डी (निवासी तेलंगाना) और एरिया कमेटी सदस्य कुमारी पोटाई उर्फ रेमती (निवासी छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार करने में मध्यप्रदेश पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली थी. फरार और इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की इस कार्रवाई में एटीएस मध्यप्रदेश और हॉक फोर्स की टीम ने उच्च स्तर की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया था.

रीवा में घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़

रीवा. शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत निराला नगर में दोस्त के यहां आए युवक की फोर व्हीलर वाहन में पड़ोसी युवक द्वारा तोड़फोड़ कर गाली गलौज किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत विश्वविद्यालय थाने में दर्ज कर दी गई है. घटना के संबंध में पीड़ित अमरनाथ तिवारी निवासी सुंदर नगर बोदाबाग में जानकारी देते हुए बताया कि होली के दिन वह अपने दोस्त राजीव वर्मा निवासी निराला नगर के यहां गए थे. अमरनाथ ने बताया कि वह अपने दोस्त के घर के बाहर जीप खड़ी कर अंदर चले गए इसी दौरान उनके दोस्त के पड़ोस में रहने वाले युवक अतुल कुमार पांडे ने गाली गलौज करते हुए उनकी जीत का कांच तोड़ दिया.

सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर दिए निर्देश

जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों की समीक्षा की

सतना, 05 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ वीसी के माध्यम से आगामी जल गंगा संवर्धन अभियान की तैयारियों एवं जल संचय, जन भागीदारी कार्यक्रम तथा रैन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किए गए कार्यों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई. सतना के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस,डीएफओ मयंक चांदीवाल, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, सीईओ जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

होली की पार्टी के दौरान होटल में जमकर चले लात-घूंसे

रीवा नवभारत

रीवा, 5 मार्च. रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी होटल में होली की पार्टी के दौरान जमकर मारपीट की घटना हो गई. इस दौरान बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर युवकों को पीटा गया जिसका वीडियो भी सामने आया है. घटना के बाद पीड़ित परिवार सामान थाने पहुंचा, जहां घटना की शिकायत दर्ज कराई है मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत करते हुए कुछ लोगों को पकड़ कर थाने लाई है. घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत लैंडमार्क होटल में होली के दिन होली मिलन पार्टी का आयोजन किया गया था. बताया गया है कि पार्टी में शामिल होने कटनी से व्यापारियों के परिवार आए हुए थे. यहां चल रही पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर होटल प्रबंधन और पार्टी में शामिल लोगों के बीच कहां सुनी हो गई जिसके बाद पार्टी में शामिल होने आए कटनी के व्यापारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया.

अब सुबह 7 बजे से मैदान में उतरेगा निगम का अमला

जबलपुर, 05 मार्च. नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने शहर की व्यवस्थाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की.

बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर के विकास और जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जनगणना कार्यों की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने हाउस नंबरिंग के कार्य को सर्वोच्च

प्राथमिकता दी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह कार्य 9 मार्च तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए. कार्य की गंभीरता को देखते हुए कल सुबह 7 बजे से ही इस अभियान को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें. निगमायुक्त द्वारा निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राजस्व वसूली अभियान की भी गहन समीक्षा की गई. निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि सुबह 7 बजे से फील्ड में उतरकर वसूली की प्रगति बढ़ाए. निगमायुक्त द्वारा 31 मार्च तक वसूली से जुड़े कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है.

Repco Home Finance

रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड

इंदौर ब्रांच : नंबर 9/1/2, खंडेलवाल मोटर बिल्डिंग, 101, फर्स्ट फ्लोर, इंदौर-452 001

उधारकर्ता / गारंटर को नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस

उधारकर्ता : श्री आनंद द्विवेदी आत्मज राज किशोर द्विवेदी, प्लॉट नंबर B.E 24 का नॉर्थ पार्ट, सुपर सिटी, गांव ढाबली, तहसील सांवेर, इंदौर-453 771, CE-26A, ज्ञानशीला, ग्राम ढाबली, तहसील सांवेर, जिला इंदौर-452 010 पर भी, SGM इंस्टीट्यूट, पीरकराडिया क्षिप्रा, इंदौर पर भी, **सह-उधारकर्ता :** श्रीमती राजश्री द्विवेदी पत्नी आनंद द्विवेदी, प्लॉट नंबर B.E 24 का नॉर्थ पार्ट, सुपर सिटी, गांव ढाबली, तहसील सांवेर, इंदौर-453 771, CE-26A, ज्ञानशीला, ग्राम ढाबली, तहसील सांवेर, जिला इंदौर-452 010 पर भी; **डिमांड नोटिस की तारीख :** 31.01.2026; **एनपीए तारीख :** 29.01.2023; **लोन खाता नंबर :** 1991870000202, **तारीख :** 12.01.2016, घर खरीदने के लिए; **बकाया रकम :** आगे और दूसरे खर्च रु. 27,53,371/- की स्कीम के तहत 28.01.2026 से आगे के ब्याज के साथ 20,00,000/- का लोन मंजूर किया गया.

प्रॉपर्टी का विवरण : ज़मीन और बिल्डिंग का वह पूरा टुकड़ा जो प्लॉट नंबर B.E 24, सुपर सिटी, ग्राम ढाबली तहसील सांवेर जिला, इंदौर (म.प्र.) के उत्तरी हिस्से में है, जिसका कुल साइज़ 68.59 वर्ग मीटर या 738.02 वर्गफीट है, और जिसकी सीमाएँ इस तरह हैं : **पूरब-** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम-** दूसरा प्लॉट, **उत्तर-** मकान नंबर B.E 25, **दक्षिण-** उस प्लॉट का बचा हुआ हिस्सा,

रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए लोन के रीपेमेंट के लिए सिक्योरिटी के तौर पर, आपने एक लोन एग्रीमेंट किया है और ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी के टाइटल डीड जमा करके एक इक्विटेबल मॉर्गेज भी बनाया है क्योंकि आपने लोन के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना होगा. कंपनी ने ऊपर बताई गई तारीखों पर एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है, जिसमें ऊपर बताए गए उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता / गारंटर्स को ऊपर बताई गई बकाया रकम, उस पर और ब्याज और खर्च के साथ चुकाने के लिए कहा गया है. यह नोटिस आप सभी को रजिस्टर्ड पोस्ट से Ack. Due के साथ भेजा गया है. हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि आपने लोन चुकाने में डिफॉल्ट किया है और अकाउंट के ऑपरेशन में गंभीर गड़बड़ियां की हैं. हमने आपके अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर क्लासिफाई किया है, आपको ऊपर बताई गई रकम चुकानी होगी. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नोटिस की तारीख से 60 (साठ) दिनों के अंदर ऊपर बताई गई रकम का पेमेंट करें. ऐसा न करने पर कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत हमें मिली पावर के तहत हमारे पास मॉर्गेज किए गए सिक्योर्ड एसेट्स का कब्ज़ा ले लेगी इसमें रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड को सिक्योर्ड एसेट्स का कब्ज़ा लेने का अधिकार है, जिसमें लीज के ज़रिए ट्रांसफर करने, बेचने का असाइनमेंट, सिक्योर्ड एसेट्स का मैनेजमेंट संभालने, आपसे सिक्योर्ड एसेट्स को मैनेज करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करने और ऊपर बताई गई बिक्री से मिली रकम को आपके बकाया कर्ज में एडजस्ट करने का अधिकार शामिल है.

हम आपका ध्यान सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के सेक्शन 13 (8) की ओर दिलाते हैं, जिसके अनुसार, सिक्योर्ड एसेट के ट्रांसफर या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा, अगर आप सिक्योर्ड क्रेडिटर के बकाए के साथ-साथ सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा उठाए गए सभी कॉस्ट, चार्ज और खर्च सिक्योर्ड एसेट की बिक्री या ट्रांसफर के लिए तय तारीख से पहले किसी भी समय दे देते हैं.

तारीख : 06.03.2026 **अधिकृत अधिकारी, रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड**

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी-54 और सी-55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032 (तमिलनाडु)

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है. अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहा है, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना को चिपकाने और प्रकाशित करने से उसकी तामील प्रभावित हो रही है. मांग सूचना की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है :-

क्र.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम एवं पता	ऋण राशि	डिमांड नोटिस की तिथिएवं बकाया राशि	संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण
1.	**ऋण खाता संख्या :** HL25IND000195707 **1. श्रीमान/श्रीमती सुरेश वर्मा** **2. श्रीमान/श्रीमती रीना वर्मा** **क्रम संख्या 1 और 2 के लिए पता :** 124 उत्कर्ष पैराडाइज धन्नाद, जिला देपालपुर, मध्य प्रदेश लावी एवरफ्रेश आइसक्रीम पार्लर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश - 453001 **क्रम संख्या 1 और 2 के लिए पता :** सर्वे संख्या 784/7, प्लॉट संख्या 211, रॉयल स्टेट कॉलोनी, ना महू, रिद्धिमा स्टडी क्लासेस के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 453441	रु. 30,00,000/-	24.02.2026 रु. 28,46,480/- (रु. अट्ठाइस लाख छियालीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) 20.02.2026 तक	साइट-सर्वे नंबर 784/7/ प्लॉट नंबर 211 रॉयल स्टेट कॉलोनी ना ना महू इंदौर 453441 मध्य प्रदेश के अनुसार. पता : डॉक्यूमेंट के अनुसार पता-पीएच नंबर 4/1 प्लॉट नंबर 211 रॉयल एस्टेट कॉलोनी सर्वे नंबर 787/7 महू, जिला इंदौर, मदियन विहार कॉलोनी के पास, 1000, 787/7, इंदौर, मध्य प्रदेश, लैंडमार्क- रिद्धिमा स्टडी क्लासेस के पास, सबसे नज़दीकी चोला ब्रांच-इंदौर, सबसे नज़दीकी चोला ब्रांच से दूरी-27, बाउंड्री- दिशा-प्लान/डीड/लेआउट के अनुसार, पूरब- प्लॉट नंबर 212, पश्चिम- प्लॉट नंबर 213, दक्षिण-रोड, उत्तर- प्लॉट नंबर 214, असल के अनुसार साइट, पूर्व -प्लॉट नंबर 212, पश्चिम -प्लॉट नंबर 213, दक्षिण -रोड, उत्तर -प्लॉट नंबर 214.

उधारकर्ताओं को एतद् द्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान प्राप्ति की तिथि तक करें. उधारकर्ता ध्यान दें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है. यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्ज़ा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है. सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13 (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13 (13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है. उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है. मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं.

स्थान : इन्दौर, मध्यप्रदेश
दिनांक :- 24-2-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

State Bank of India
भारतीय स्टेट बैंक

प्राधिकृत अधिकारी का विवरण : मोबाइल नंबर 9987173021 लैंडलाइन नंबर (कार्यालय) : 022-41611429, अन्य मोबाइल नंबर 9985592115

शाखा - स्ट्रेस्ड परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा-II, रहेजा चेम्बर्स, भूतल, विंग-B, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
दूरभाष संख्या : 022-41611429
ईमेल आईडी: team7.15859@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित.

एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति गिरवी/प्रभारित है. (भारतीय स्टेट बैंक) को सुरक्षित लेनदार के रूप में, जिसका **भौतिक कब्जा** भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, सुरक्षित लेनदार को 'जहाँ है जैसा है, जो है जैसा है' के आधार पर **15.4.2026** को बेचा जाएगा. बैंक के बकाया की वसूली के लिए भारित संपत्ति/संपत्तियों (SARFAESI अधिनियम, 2002 के अंतर्गत) की ई-नीलामी नीचे निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर आयोजित की जाएगी.

उधारकर्ता का नाम	गारंटर का नाम	जिन संपत्तियों/संपत्तियों की वसूली हेतु बकाया राशि की वसूली की जा रही है / बेचा गया
मेसर्स पारस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 203, सफायर हाइट्स, ए.बी. रोड, पाकीज़ा शोरूम के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन-452003.	i) श्री राजीव दिवाकर ii) सुश्री स्मिता दिवाकर iii) श्री कुबेर दिवाकर iv) श्री महेंद्र कुमार दिवाकर	रिकवरी, अगर कोई हो) 22.10.2023 तक सिक्योर्ड रु. 21,55,44,572.18 + उस पर आज तक कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर इंटरेस्ट + खर्चे और कॉस्ट (पारस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड से कैश क्रेडिटर को घटाकर) **डिमांड नोटिस की तारीख :** 23.10.2023

क्र.	संपत्ति का विवरण	रिजर्व मूल्य (रु.)	ईएमडी (रु.)	बिड वृद्धि राशि	ई-नीलामी तिथि और समय	प्रॉपर्टी निरीक्षण तिथि और समय
1.	प्लांट और मशीनरी सहित ज़मीन और बिल्डिंग, प्लॉट नंबर-101-D, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर नंबर 01, पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में स्थित है. लैंड एरिया 8884 वर्ग मीटर (लीज़होल्ड प्रॉपर्टी) M/s पारस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के नाम **प्रॉपर्टी फिजिकल पज़ेशन में है.**	रु. 9,34,00,000.00	रु. 93,40,000.00	रु. 1,00,000/-	15.04.2026 समय : सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक, असीमित 10 मिनट के विस्तार के साथ	24.03.2026 समय : सुबह 11.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक

ध्यान दें :- कृपया ध्यान दें कि यह ई-नीलामी **'जहाँ है जैसा है, जैसा है वैसा है'** और **'जो कुछ भी है'** के आधार पर आयोजित की जा रही है.

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को नीलामी समय से काफी पहले हमारे सेवा प्रदाता **बैंकनेट** ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com/eauction-psb/eauction/ पर पंजीकरण के माध्यम से अपनी ईएमडी राशि ऑनलाइन माध्यम से अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरित करनी होगी. यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा. पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और ईएमडी का वॉलेट में स्थानांतरण नीलामी से काफी पहले पूरा किया जाना चाहिए. इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी समाप्त होने से पहले **बैंकनेट** में प्री-बिड ईएमडी जमा कर सकते हैं. प्री-बिड ईएमडी बोलीदाता को **बैंकनेट** बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने और ई-नीलामी वेबसाइट पर ऐसी जानकारी को अपडेट करने के बाद ही दी जाएगी. बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को, अपने हित में, अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए प्री-बिड ईएमडी राशि पहले ही जमा करने की सलाह दी जाती है.

संपत्ति पर कोई ज्ञात भार नहीं है. हालांकि, इच्छुक बोलीदाता को संबंधित कार्यालयों/विभागों से संपत्ति पर भार के संबंध में स्वयं पूछताछ और उचित जाँच-पड़ताल करनी चाहिए. किसी भी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति को देय सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन, शुल्क, फीस आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता की ही ज़िम्मेदारी होगी.

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय स्टेट बैंक, सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर दिए गए लिंक देखें : www.sbi.co.in और https://baanknet.com/eauction-psb/eauction/

बैंक वेबसाइट https://bank.sbi	ई-ऑक्शन वेबसाइट https://baanknet.com/

प्रॉपर्टी आईडी नंबर	प्रॉपर्टी लोकेशन	प्रॉपर्टी का वीडियो/फोटो	यूएसपी
SBIN77793723082			

दिनांक : 4.3.2026
स्थान : मुंबई

हस्ताक्षरित/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक